न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:–33 / 23 दायर दिनांक 01.03.2023

जीसीएमएस आई0डी0:–2023 / 88

सुरज्ञान पुत्र किशोरी उम्र 70 साल जाति जाटव निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली राज

––सायल

बनाम

1. राजेश पुत्र रामप्रसाद उम्र 38 साल जाति गुर्जर निवासी कसाने का नंगला तहसील सुरौठ जिला करौली राज0
2. माया बेवा रामप्रसाद उम्र 52 साल जाति गुर्जर निवासी कलाने का नगला तहसील सूरौठ जिला करौली राज0
3. रुकमणी पत्नी राजेश उम्र 30 साल जाति गुर्जर निवासी कसाने का नगला तहसील सूरौठ जिला करौली राज

–गैरसायलान––03

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री संजय शर्मा वकील सायल

2. श्री रामभरोसी गोयल वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांकः– 28-2-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि कृषि भूमि खसरा नं. 1 / 4133 रकवा 0.65 हैक्टेयर नहरी–2 वाके ग्राम कसाने का नंगला पटवार हल्का ढिढौरा तहसील सूरौठ जिला करौली राज, सायल के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। जिसमें वर्तमान में सायल ने गेहूं व सरसों की फसल काश्त कर रखी है।

सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 1 / 4133 के किसी भी भाग से गैरसायलान का कोई संम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। गैरसायलान लठैत तथा उद्दण्ड प्रकृति के व्यक्ति हैं। जो सायल से रंजिश रखते हैं। और सायल की उक्त भूमि पर जबरदस्ती [illegible] बल पर कब्जा करना चाहते हैं। और सायल को अपनी खातेदा[illegible] चाहते हैं। तथा सायल के कब्जे काइत में व्यकान पैदा करते रहते [illegible] तथा सायल को [illegible] मुकदमों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:33 IST
Reason: SelfAttested

फंसाने की धमकी देते हैं। जबकि सायल वृद्ध सीधा–सादा सज्जन व्यक्ति है। चुनाचे दिनांक 13.02.23 को गैरसायलान, साथल के उपर यह कहकर हमलावर हुये कि उक्त भूमि को सायल की कारत नहीं करने देंगे। सायल की उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे। इस प्रकार गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये ती सायल को अतुल्य तथा अपूर्तनीय हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। हक–तलफी होगी। सायल अपनी खातेदारी व कब्जेकान्त की भूमि से महरूम हो जावेगा। गैरसायलान लगातार रूप से सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में व्यक्यान पैदा कर रहे हैं। मना करने से नहीं मानते हैं। इसलिये दावा तथा प्रार्थना पत्र हाजा बावत स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान दायर करना लाजिम आया।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि दौराने दावा गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंन्द किया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वय और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 1/4133 रकवा 0.65 हैक्टेयर नहरी 2 वाके ग्राम कसाने का नंगला पटवार हल्का ढिढौरा तहसील सूरौठ में सायल के कब्जे काश्त में माने मजाहमत मदाखलत बेजा पैदा ना करें। सायल को शांतिपूर्वक काश्त करते रहने देवें। सायल को बेदखल ना करें। भूमि मुतनाजा को वेस्ट, डेमेज एलीनेट ना करें। ना ही ऐसा कोई कृत्य करें जिससे हकूक सायल पर विपरित प्रभाव पडे

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 ता 3 की ओर से श्री रामभरोसी गोयल द्वारा वकालतनामा पेश किया एवं आदेशिका दिनांक 02.08.2024 से जबाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 में सायल द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध कतई गलत एवम झूठा दावा स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना स्वीकार है, जिसमें सायल को सफलता का कोई चांस नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 में दर्ज भूमि फिलहान ग्राम कसाने का नंगला होना स्वीकार है। बकिया इबारत गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त भूमि पहले ग्राम ढिंढोरा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिसका खसरा न0 840 रकबा 65 ऐयर था जो सायल ने [illegible] सायल स0 1 के पिता रामप्रसाद को दि0 18.07.2005 को बेच दी तथा कब्जा करा दिया। तभी से यानि 19 साल से गैरसायलान उस पर काबिज काश्त है। सायलान का कब्जा काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:33 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है। मौजूदा में गैरसायलान की बोयी हुयी फसल सरसब्ज फसल खडी हुयी है।

3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 गलत होने के कारण अस्वीकार है। आराजी खसरा न0 1/4133 वाके ग्राम कसाने का नंगला जो कि ढिंढोरा में स्थित थी, जिसमे सायल का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है।उक्त भूमि पर गैरसायलान का कब्जा काश्त है। दिनांक 13.02.2023 को गैरसायलान ने सायल पर कोई हमला नहीं किया, नाही किसी प्रकार की कोई धमकी दी। इस मद में सभी बाते सायल ने झूंठी दर्ज की है।

4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत एवम झूंठा होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज किया जाने की कृपा करे।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2070-73 खाता संख्या 187, खसरा गिरदावरी खरीफ संवत 2077 खसरा न0 1/4133, नक्शा ट्रैस खसरा न0 1/4133 वाके ग्राम कसाने का नंगला एवं गैरसायलान द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2005 सुरज्ञान बहक रामप्रसाद पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान ना तो स्वय और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 1/4133 रकबा 0.65 हैक्टेयर नहरी 2 वाके ग्राम कसाने का नंगला पटवार हल्का ढिंढौरा तहसील सूरीठ में सायल के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा ना करने, सायल को शांतिपूर्वक काश्त करते रहने देना, सायल को बेदखल ना करने का निवेदन किया। गैरसायलान ने अपने बहस कथन में जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि आराजी खसरा न0 1/4133 वाके ग्राम कसाने का नंगला जो कि ढिंढोरा में स्थित थी, जिसमे सायल का कोई वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। उक्त भूमि पर गैरसायलान का कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:33 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि जमाबंदी 2070–73 खाता संख्या 187, खसरा गिरदावरी खरीफ संवत 2077 खसरा न0 1/4133, नक्शा ट्रैस खसरा न0 1/4133 वाके ग्राम कसाने का नंगला के सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । खसरा न0 1/4133 वाके ग्राम कसाने का नंगला तहसील सूरौठ में रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति के संबंध में दिनांक 01.03.2023 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 28-2-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 28/2/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:33 IST
Reason: SelfAttested